International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 7.150, Volume 06, No. 04(II), October - December, 2024, pp. 142-148

एक राष्ट्र – एक चुनाव विश्लेषण व चुनौतियां

डॉ. लक्ष्मी नारायण*

प्रस्तावना

भारत का लोकतांत्रिक ढांचा अपनी जीवंत चुनावी प्रक्रिया के आधार पर फल फूल रहा है और नागरिकों को हर स्तर पर शासन को सक्रिय रूप से आकार देने में सक्षम बनाता है। आजादी के बाद से वर्तमान तक 400 से अधिक चुनावों ने निष्पक्षता और पारदर्शिता के प्रति भारत के चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है।

एक राष्ट्र एक चुनाव एक ऐसी अवधारणा है जो भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में अधिक संगठित, कुशल व समावेशी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकती है। इस विचार का मुख्य उद्देश्य लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना है, ताकि बार–बार चुनावों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं जैसे कि आर्थिक खर्च, प्रशासनिक बाधाएं और विकास कार्यों में रूकावट को दूर किया जा सके।

आजादी के बाद शुरूआती वर्षों में 1952 से 1969 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे लेकिन समय के साथ राजनीतिक अस्थितरा और विधानसभाओं के भंग से यह परम्परा टूट गई। अब इस विचार को दोबारा लागू करने पर बहस तेज हो गई है। यह न केवल चुनावी प्रक्रिया को सरल बना सकता है बल्कि शासन में स्थिरता और विकास कार्यों को तेज गति देने में भी मददगार हो सकता है। हालांकि इस विचार को लागू करने के लिए कई संवैधानिक, राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियां हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- भारत में विधानसभाओं और लोकसभा के लिए एक साथ चुनाव कराना कोई नया विचार नहीं है।
- भारत में सबसे पहले 1952, 1957, 1962 व 1967 में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित हो चुके हैं।
- 1968–69 के बीच कुछ विधानसभाओं के समय से पहले विघटन के कारण इस प्रणाली को बंद कर दिया गया था।
- इसके बाद से भारतीय चुनाव प्रणाली में केन्द्र और राज्यों के लिए अलग–अलग चुनाव आयोजित होते हैं।

* Assistant Professor, Political Science, Government College, Malsisar, Jhunjhunu, Rajasthan, India.

- 1983 में चुनाव आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 1983 में भी एक साथ चुनाव कराने का विचार प्रस्तुत किया गया था।
- विधि आयोग ने सन् 1999 में अपनी 170वीं रिपोर्ट में लोकसभा व विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का समर्थन किया था।
- 2018 में, विधि आयोग ने एक साथ चुनावों के कार्यान्वयन का समर्थन करते हुए एक मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें एक देश एक चुनाव के लिए चुनावी कानूनों में बदलाव की सिफारिश की गई थी।
- इसमें एक साथ चुनाव कराने से संबंधित कानूनी और संवैधानिक बाधाओं और समाधानों की जांच की गई थी।
- विधि आयोग ने सुझाव दिया कि एक साथ चुनाव केवल संविधान में उपयुक्त संशोधन के बाद ही सम्पन्न किये जा सकते हैं तथा कम से कम 50 प्रतिशत राज्यों को इन संवैधानिक संशोधनों की पुष्टि करनी होगी।
- सितम्बर 2023 में केन्द्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए एक समिति का गठन किया। उसे रामनाथ कोविन्द समिति के नाम से संबोधित किया गया। जिसका उद्देश्य कानूनी व प्रशासनिक चुनौतियों का समाधान खोजना था।

इस समिति में अध्यक्ष सहित 10 सदस्य हैं जिन्होंने एक साथ चुनाव कराने के लिए 2 सितम्बर, 2023 को एक अधिसूचना जारी की। रामनाथ कोविन्द समिति में विपक्ष में श्री रामनाथ कोविन्द, भारत में भूतपूर्व राष्ट्रपति (अध्यक्ष), श्री अमित शाह, गृहमंत्री और सहाकरिता मंत्री भारत सरकार, श्री अधीर रंजन चौधरी (विपक्ष में बने बड़े दल के नेता लोकसभा), श्री गुलाम नबी आजाद (विपक्ष के भूतपूर्व नेता राज्यसभा), श्री एन.के. सिंह (15वें वित्त आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष), डॉ. सुभाष कश्यप (पूर्व महासचिव लोकसभा), श्री हरीश साल्वे (वरिष्ठ अधिवक्ता), श्री संजय कोठारी (पूर्व मुख्य सतर्काता आयुक्त), अर्जुन राम मेघवाल (राज्यमंत्री, स्वतंत्र प्रभार), विशेष आमंत्रिती के रूप में एच.एल.सी. की बैठकों में भाग लेंगे। कोविन्द समिति ने एक देश एक चुनाव की संभावनाएं तलाशने के लिए दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, बेल्जियम आदि 7 देशों की चुनाव प्रक्रियाओं का अध्ययन किया था।

रामनाथ कोविन्द समिति की मुख्य सिफारिशें

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने सितम्बर 2023 एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने संबंधी विधेयकों को मंजूरी दी।

- सरकार को एक साथ चुनाव के चक्र को बहाल करने के लिए कानूनी रूप से स्वीकार्य तंत्र विकसित करना चाहिए।
- पहले चरण में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करा सकते हैं।
- दूसरे चरण के तहत निकाय व पंचायत चुनाव लोकसभा व विधानसभाओं के चुनाव होने के बाद 100 दिन के भीतर कराये जाएं।
- लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के उद्देश्य से किसी आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तारीख को राष्ट्रपति द्वारा नियत तिथि के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।
- नियत तिथि के बाद और लोकसभा के पूर्व कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनावों के माध्यम से गठित सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल केवल संसदीय चुनाव की अवधि तक के लिए होगा। इस एक बार के अस्थायी उपाय के बाद सभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे।
- सदन में बहुमत न होने या अविश्वास प्रस्ताव या इसी तरह की अन्य स्थिति में नयी लोकसभा के गठन के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं।

- अगर लोकसभा के लिए एक चुनाव होते हैं तो सदन का कार्यकाल केवल शेष कार्यकाल तक का होगा। इन परिवर्तनों के लिए अनु. 83 (संवाद के सदनों की अवधि और अनु. 172 (राज्य विधानमंडलों की अवधि) में संशोधन की आवश्यकता होगी।
- अगर राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव होते हैं तो ऐसी नई विधानसभा लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के अंत तक जारी रहेंगी। बशर्ते उन्हें पहले ही भंग न कर दिया जाए।
- निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य निर्वाचन आयोगों के परामर्श से एक एकल मतदाता सूची और मतदाता फोटो पहचान–पत्र (ईपीआईसी) तैयार किया जाएगा और यह निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किसी अन्य मतदाता सूची का स्थान लेगा। इसके लिए अनु. 325 के तहत ईसीआई या अनु. 243ज्ञ व 243। के तहत चुनाव आयोग द्वारा तैयार किसी भी अन्य मतदाता सूची का स्थान लेगी। इस संशोधन के लिए 50 प्रतिशत से अधिक राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी।
- एक साथ चुनाव कराने के वास्ते रसद व्यवस्था करने के लिए, निर्वाचन आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट टूल (वीवीपैट) जैसे उपकरणों की खरीद, मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों की तैनाती और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए पहले से ही योजना व अग्रिम अनुमान तैयार कर सकता है।
- संसद व राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित संवैधानिक संशोधनों को राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। यद्यपि स्थानीय निकायों से संबंधित संवैधानिक संशोधनों को कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के साथ पारित किया जाना आवश्यक होगा।
- एकल मतदाता सूची – चुनावों की देखरेख का काम दो संवैधानिक प्राधिकरणों को सौंपा गया है – (1) संसद के दोनों सदनों, राज्य विधानसभाओं और परिषदों।
- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए भारत का चुनाव आयोग (ठब्) और स्थानीय निकायों के लिए राज्य चुनाव आयोग ैफब)
- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची तैयार करना संबंधित राज्य कानूनों द्वारा शासित होता है।

समिति ने सुझाव दिया कि एकल मतदाता सूची अपनाई जानी चाहिए। इससे विभिन्न एजेन्सियों में आवश्यकता व दोहराव कम होगा।

मुख्य निष्कर्ष

- **जनता की प्रतिक्रिया** – समिति को 21,500 से अधिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई जिनमें से 80 प्रतिशत एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में थी। सबसे अधिक प्रतिक्रियाएं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पश्चिमी बंगाल, गुजरात व उत्तरप्रदेश से प्राप्त हुई।
- **राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं** – 47 राजनीतिक दलों ने इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किये। इनमें से 30 दलों ने संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और सामाजिक सद्भाव जैसे लाभों का हवाला देते हुए एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया। 15 दलों ने संबंधित लोकतंत्र विरोधी प्रभावों और क्षेत्रीय दलों के हाशिए पर जाने से जुड़ी चिंताएं व्यक्त की।
- **आर्थिक प्रभाव** – फिक्की, एसोचैम व सीआईआई जैसे व्यापारिक संगठनों ने इसका समर्थन किया। सभी चुनाव साथ होने पर भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) ग्रोथ अगले वर्ष 1.5 प्रतिशत बढ़ जाएगी। आंकड़े यह भी बताते हैं कि सभी चुनाव एक साथ होने से जीडीपी के लिए नेशनल ग्रास फिक्स्ड कैपिटल फॉरमेशन निवेश का अनुपात करीब 05 प्रतिशत बढ़ जाएगा। इसी प्रकार एक साथ चुनाव होने से महंगाई में भी गिरावट आने का अनुमान है। एक देश एक चुनाव के लागू होने से चुनाव प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलेगा और देश के आर्थिक विकास में भी यह मददगार साबित होगा।

कार्यान्वयन

कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जिन्हें एक राष्ट्र एक चुनाव के कार्यान्वयन के लिए संशोधित करने की आवश्यकता होगी :–

- अनु. 83 (संसद के दोनों सदनों की अवधि से संबंधित)
- अनु. 85 (राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के विघटन से संबंधित)
- अनु. 174 (राज्य विधानसभाओं के विघटन से संबंधित)
- अनु. 356 (केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित)
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा–2 में एक साथ चुनाव की परिभाषा शामिल की जा सकती है।
- एक साथ चुनाव के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए चुनाव आयोग की शक्तियों तथा कार्यों का पुनर्गठन भी करना होगा।

एक देश एक चुनाव के समर्थन में दिये जाने वाले तर्क

- एक देश एक चुनाव एक विकासोन्मुखी विचार है क्योंकि लगातार चुनावों के कारण देश में बार–बार आदर्श आचार संहिता लागू करनी पड़ती है। इसकी वजह से सरकार आवश्यक नीतिगत निर्णय नहीं ले पाती और विभिन्न योजनाओं को लागू करने में समस्या आती है। यद्यपि आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनावों की निष्पक्षता बरकरार रखने के लिए बनाया गया है।
- एक देश एक चुनाव से बार–बार होने वाले भारी खर्चे में कमी आएगी। क्योंकि बार–बार चुनाव होते रहने से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। इसके अलावा चुनावों पर होने वाले खर्चों में निरन्तर बढ़ौत्तरी होती जा रही है। यह देश की आर्थिक सेहत के लिए बेहद ही चिंताजनक है। कोविन्द समिति की सिफारिशों के अनुसार एक साथ चुनाव करने पर भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) ग्रोथ अगले वर्ष 1.5 प्रतिशत बढ़ जाएगी।
- एक देश एक चुनाव से काले धन व भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों द्वारा काले धन का खुलकर प्रयोग किया जाता है। यद्यपि देश में प्रत्याशियों द्वारा चुनावों में किये जाने वाले खर्च की सीमा निर्धारित की गई है लेकिन राजनीतिक दलों द्वारा किये जाने वाले खर्च की कोई सीमा तय नहीं की गई है। लगातार चुनाव होते रहने से पार्टियों व राजनेताओं को सामाजिक समरसता भंग करने का मौका मिल जाता है जिसकी वजह से अनावश्यक तनाव की परिस्थितियां बन जाती है। एक साथ चुनाव करवाने से इन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा।
- एक देश एक चुनाव के पक्ष में एक तर्क यह भी है कि एक साथ चुनाव कराने से सरकारी कर्मचारियों व सुरक्षा बलों को बार–बार चुनाव ड्यूटी पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे उनका समय तो बचेगा तथा वो अपने कर्त्तव्यों का पालन भी सही तरह से कर पायेंगे।
- क्योंकि हमारे यहां चुनाव कराने के लिए शिक्षकों व सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों की सेवा ली जाती है जिससे उनका कार्य प्रभावित होता है। इसी के साथ निर्बाध चुनाव कराने के लिए भारी संख्या में पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती से आम जन–जीवन प्रभावित होता है। एक साथ चुनाव से सुरक्षा बलों को अन्य आंतरिक सुरक्षा उद्देश्यों के लिए बेहतर तरीके से तैनात किया जा सकता है।
- लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव एक साथ करने से मतदान प्रतिशत में भी वृद्धि होगी।
- बार–बार होने वाले चुनाव देश भर में जाति धर्म व सांप्रदायिक मुद्दों को चर्चा में रखते हैं जो सामाजिक व्यवस्था के लिए नकारात्मक पक्ष है।

- अलग–अलग समय पर होने वाले विभिन्न चुनावों के कारण राजनीतिक वर्ग दीर्घकालीन कार्यक्रमों व नीतियों पर ध्यान केन्द्रि तकरने की बजाय तत्काल चुनावी लाभ के संदर्भ में सोचने लग जाते हैं। इसलिए एक साथ चुनाव ही बेहतर विकल्प है।

इन 5 देशों में लागू है 'एक देश एक चुनाव'

- **द0 अफ्रीका** – यहां हर पांच साल में राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनाव एकसाथ होते हैं। हालांकि स्थानीय निकाय के चुनाव अलग होते हैं। यहां आनुपातिक चुनाव प्रणाली है, यानी प्रत्येक पार्टी को मिले वोटों की संख्या के आधार पर सीटें दी जाती है।
- **स्वीडन** – यहां पर भी आनुपातिक चुनाव प्रणाली लागू है, यानी राजनीतिक दलों को प्राप्त मतों के आधार पर सीटें मिलती हैं। हर चार साल में संसद, काउंटी काउंसिल (यानी प्रांतों) और म्युनिसिपल काउंसिल (नगर निकायों) के लिए एकसाथ वोट पड़ते हैं।
- **इंडोनेशिया** – यहां के उदाहरण का भारत काफी करीबी से विश्लेषण कर सकता है। इसी साल 14 फरवरी, 2024 में इंडोनेशिया में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के अलावा संसद, प्रांतीय और स्थानीय निकायों के लिए करीब 20 हजार प्रतिनिधियों के लिए एकसाथ वोट डाले गए थे।
- **फिलीपींस** : यहां राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। 1992 से हर छल साल में राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों के चुनाव एकसाथ होते हैं। 1992 में लागू एक कानून के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सीनेटर्स का कार्यकाल किया गया था।
- **बेल्जियम** – यहां हर पांच साल में फेडरल पार्टियामेंट के साथ प्रांतों में सरकारें चुनने के लिए भी एकसाथ मतदान होता है। यहां पर भी आनुपातिक चुनाव प्रणाली लागू है। बेल्जियम में प्रत्येक मतदाता के लिए मतदान करना अनिवार्य भी बनाया गया है।

एक देश एक चुनाव के विरोध में दिये जाने वाले तर्क

- विपक्षी दलों के अनुसार एक देश एक चुनाव के विमर्श से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की संघीय प्रकृति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- एक देश एक चुनाव का विरोध करने वाले दलों के बीच चिंता का प्राथमिक कारण संवैधानिक गड़बड़ियां और संघ विरोधी परिणाम है।
- राष्ट्रीय चुनावों में राष्ट्रीय हितों से जुड़े मुद्दे प्राथमिकता रखते हैं जबकि राज्य चुनाव में स्थानीय/क्षेत्रीय मुद्दे हावी होते हैं। एक साथ चुनाव होने के कारण राष्ट्रीय मुद्दे राज्य के मुद्दों पर हावी हो सकते हैं।
- नियमित चुनाव होने से सरकार लोगों की इच्छा को सुनने के लिए बाध्य होती है। समस्याओं के प्रति जागरूक रहती है। सभी चुनावों के एक साथ सम्पन्न होने के कारण सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही में कमी आएगी।
- सरकार को वापस बुलाए जाने के डर के बिना, एक निश्चित कार्यकाल का प्रावधान निरंकुश प्रवृत्तियों को जन्म दे सकता है।
- वर्तमान व्यवस्था को इसलिए चुना गया ताकि नियमित चुनाव कराकर लोकतंत्र की इच्छा को कायम रखा जा सके और मतदान के माध्यम से लोग अपनी इच्छाओं की अभिव्यक्ति कर सके।
- लोकतंत्र में एक साथ सभी चुनाव कराना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, पहली बार तो लोकसभा और संबंधित राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल को संशोधित करके सभी चुनाव एक साथ सम्पन्न कराए जा सकते हैं लेकिन ऐसी स्थिति को लम्बे समय तक बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि जैसे ही कोई सरकार अपनी विधानसभा में विश्वास खो देती है, यह व्यवस्था फिर से अस्त–व्यस्त हो जाएगी।

- एक देश एक चुनाव के लिए चुनाव प्रणाली को संशोधित करने का अर्थ लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा को व्यक्त करने की शक्ति के साथ छेड़छाड़ करना होगा।

आगे की राह

एक देश एक चुनाव की अवधारणा को मूर्त रूप देने की पहली कड़ी में केन्द्र सरकार ने विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच इससे संबंधित संविधान संशोधन विधेयक (129वां) और इससे जुड़े एक अन्य विधेयक को मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया। विधेयकों को पहली ही सीढ़ी पर तगड़े विरोध का सामना करना पड़ा और विपक्ष ने मत विभाजन कराकर अपने इरादे साफ दिए। विपक्ष के 198 मतों के मुकाबले 269 सदस्यों के समर्थन से सरकार ने विधेयक पेश कर दिये। मगर संवैधानिक संशोधन के लिए दो तिहाई बहुमत जुटाने की चुनौती के मद्देनजर संविधान संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने पर हामी भर दी। विपक्ष ने सरकार के कदम को तानाशाही बताते हुए इसे संघीय ढ़ांचे पर प्रहार करार दिया। वहीं कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि विधेयक राज्यों को प्राप्त शक्तियों से कोई छेड़छाड़ नहीं करता। कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष की मांग के बीच गृहमंत्री अमित शाह और मेघवाल ने कहा कि सरकार दोनों विधेयकों को विचार–विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने के लिए तैयार है। लोकसभा में 129वें संशोधन विधेयक के साथ केन्द्रशासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 भी पेश किया गया जिसमें तीन केन्द्रशासित प्रदेशों पुड्डुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ कराने का प्रावधान है। विपक्ष की आशंकाओं को निराधार बताते हुए मेघवाल ने दावा किया कि यह विधेयक संविधान की मूल संरचना के सिद्धान्त पर हमला नहीं करता।

न्यायिक समीक्षा संविधान का संघीय चरित्र, शक्तियों के पृथक्कीरकण, पंथ निरपेक्ष स्वरूप संविधान की सर्वोच्चता जैसे सिद्धान्त नहीं बदले गए हैं और विपक्ष की अधिकांश आपत्तियां राजनीतिक प्रकृति की है।

एक देश एक चुनाव के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित

एक देश एक चुनाव विधेयक पर विचार करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में 27 सदस्य लोकसभा से और 12 दस्य राज्यसभा से होंगे। इसमें लोकसभा से कांग्रेस सदस्य प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी व सुखदेव भगत शामिल होंगे। प्रारम्भ में जेपीसी कमेटी में 31 सदस्य थे (लोकसभा के 21 व राज्यसभा के 10)।

लोकसभा की 20 दिसम्बर के लिए कार्यसूची में सदन से जेपीसी में शामिल होने वाले सदस्यों के नाम शामिल है। कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल समिति के गठन का प्रस्ताव पेश करेंगे। भाजपा से इसमें पूर्व केन्द्रीय मंत्री परषोत्तम खराला, अनुराग ठाकुर, पीपी चौधरी, भर्तहरि माहताब, अनिल बलूनी, सीएम रमेश, बांसुरी स्वराज, विष्णु दयाल राम और संबित पात्रा शामिल हैं।

लोकसभा सदस्य में शिवसेना के श्रीकान्त शिन्दे, सपा के धर्मेन्द्र यादव, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी, द्रमुक टीएम सेल्वा गणपति, हरीश बालयोगी राकंपा (शरद पंवार) की सुप्रिया सुले, रालोद के चंदन चौहान, जनसेना पार्टी के बालशौरी वल्लभनैनी भी शामिल है।

अब इस संयुक्त समिति का आकार बढ़ा दिया गया तथा इस मेगा संसदीय संयुक्त समिति का अध्यक्ष भाजपा सांसद पीपी चौधरी को नियुक्त किया गया है। अब 129वें संविधान संशोधन बिल की समीक्षा करने वाली इस संयुक्त समिति के कुल 39 सदस्यों में भाजपा के 16, कांग्रेस से 5 समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक से दो–दो, जबकि शिवसेना, तेदेपा, जदयू, रालोद, लोक जनशक्ति पार्टी, शिवसेना–यूबीटी, राकांपा (शरद पंवार गुट) माकपा, आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल और बीएसआरसीपी से एक–एक सदस्य शामिल है। कुल मिलाकर सत्ता पक्ष के 22, विपक्ष के 15 और 2 ऐसे दलों के सदस्य हैं जो किसी पक्ष में नहीं है।

लोकसभा और राज्यसभा में कानूनी मंत्री अर्जुनराम मेघवाल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के मुताबिक संयुक्त संसदीय समिति अगले संसदीय सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन अपनी रिपोर्ट देगी। यद्यपि विधेयक के महत्व और गंभीरता को देख्ते हुए आवश्यकता पड़ने पर जेपीसी को अतिरिक्त समय देने पर भी विचार किया

जा सकता है। अर्जुनराम मेघवाल ने बताया कि जेपीसी के लिए सदस्यों की कोई निश्चिम सीमा नहीं होती। केन्द्र राज्य संबंधों को लेकर बनी समिति में 51 सदस्य थे। एक देश एक चुनाव अहम विषय है और इसीलिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा चर्चा और सहमति बने। राज्यसभा ने भी इस विधेयक समेत दो विधेयकों के लिए गठित संयुक्त समिति में शामिल करने के लिए 12 सदस्यों को नामित किया है।

यह एक विचारशील पहल है लेकिन इसे लागू करने के लिए देश की विविधता, संघीय ढ़ांचे और राजनीतिक प्रणाली के साथ संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। इसका उद्देश्य संसाधनों की बचत और शासन को कुशल बनाना है लेकिन इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि इससे भारत की लोकतांत्रिक और संघीय प्रकृति पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। गहन विचार विमर्श, व्यापक राजनीतिक सहमति और संवैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से इस विचार को व्यावहारिक रूप दिया जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. एक देश एक चुनाव : भारत में राजनीतिक सुधार की संभावनाएं; अनूप बसवाल, देशबंधु प्रकाशन : वर्ष 2021
2. एक राष्ट्र एक चुनाव : भारतीय लोकतंत्र में सुधार की दिशा; सुभाष कश्यप; राजकमल प्रकाशन, वर्ष 2018
3. One Nation One Election : A Critical Analysis; Madhav Godbole; Orient Blackswan; 2019
4. दृष्टि आई.ए.एस. : एक देश एक चुनाव url/https://www.dristias.com
5. प्रभात खबर 'One nationa one election: एक देश एक चुनाव बदलेगा चुनाव परिदृश्य, https:/www.prabhatkhabar.com/opinion/one nation one election.
6. नवभारत टाइम्स : एक देश एक चुनाव, https://navbharattimes.indiatimes.com/elections/about one nation-one election.

❖◆❖